## <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-718 / 2010</u> संस्थित दिनांक -23.09.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

### / <u>विरूद</u> / /

1-कटरूदास, पिता स्वर्गीय पिट्टूदास, उम्र 60 वर्ष, साकिन-डुड़वा थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—बबलूदास पिता कटरूदास, उम्र 26 वर्ष, साकिन—डुड़वा थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>आरोपीगण</u>

\_\_\_\_\_\_

# // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-29/09/2014 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 506(भाग—दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—13.09.2010 को समय दिन के 12:00 बजे स्थान ग्राम डुड़वा आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत प्रार्थिया बजराबाई को मां—बहन की अश्लील उच्चारित करते हुए उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, एक राय होकर आहत बजराबाई को पत्थर एवं लात—घुसों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित कर प्रार्थिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—13.09.2010 को समय दिन के 12:00 बजे स्थान ग्राम डुड़वा आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत प्रार्थिया बजराबाई बाजार जा रही थी तो आरोपीगण ने उसे अश्लील गालियाँ दिये, जब प्रार्थया द्वारा गालियाँ देने से मना किया गया तो आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी देते हुए हाथ में रखे पत्थर तथा लात—घुसो से मारपीट किये। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत बजराबाई के द्वारा थाना गढ़ी में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक—21/2010, धारा—294, 323, 506, 34, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का

चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना में प्रयुक्त सम्पति को जप्त किया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—13.09.2010 को समय दिन के 12:00 बजे स्थान ग्राम डुड़वा आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत प्रार्थिया बजराबाई को मां—बहन की अश्लील उच्चारित कर उसे करते हुए उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर एक राय होकर आहत बजराबाई को पत्थर एवं लात—घुसो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया बजनाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

# विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— प्रार्थिया / आहत बजराबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 12:00 बजे ग्राम डुडवा की है, घर में पित—पित्न के बीच एक—दो बात हो रही थी तो उसी समय आरोपी बबलू अपने घर से निकला और पीछे आकर उसे पत्थर से मारा तथा 12 हजार रूपये छीन लिया। पत्थर गाल पर लगने से अभी तक उसके दांत हिल रहे है। आरोपी बबलू और कटरूदास उसे गंदी—गंदी गालियाँ दे रहे थे। आरोपी बबलू उसे छिनाल, बदमाश बोल रहा था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस में की थी, जिस पर उसने अंगुटा निशानी लगायी थी। पुलिस वाले जांच में आये थे और उसका मुलाहिजा करवाया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे आरोपी कटरूदास ने पत्थर से मारा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसे आरोपी बबलूदास ने पत्थर से मारा था तथा बबलूदास ने उसे हाथ—घुसे से नहीं मारा था। साक्षी ने आरोपी बबलू ने उसे गाली—गलौच करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के तथ्य को भी स्वीकार किया है।
- 6— उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश न कर परस्पर विरोधाभाषी कथन किये है साथ ही

साक्षी ने आरोपी बबलू के द्वारा कथित 12 हजार रूपये छीन लेने और पत्थर गाल पर मारने से उसके दांत हिल जाने के कथन के संबंध में उसके पुलिस कथन में व रिपोर्ट में लोप किया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा न केवल साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में लोप कारित किया गया है, बल्कि उसकी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष भी प्रकट होता है।

- 7— आहत बजराबाई (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथित 12 हजार रूपये छुड़ाकर ले जाने वाली बात के संबंध में रिपोर्ट में उल्लेखित न करने का कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जिस समय उसने रिपोर्ट की थी वह उस समय आरोपी कटरूदास की विवाहिता पत्नि थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के पहले आरोपीगण और उसका वाद—विवाद हो चुका था और इसी कारण आरोपीगण से उसकी रंजिश बनी हुई थी।
- <equation-block> चिकित्सीय साक्षी डॉ.एन.एस.कुमरे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—13.09.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक कमांक-148 द्वारा आहत बजराबाई को उसके समक्ष मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत के चेहरे के बांयी तरफ एक कंट्रजन तथा पीठ पर बांये तरफ एक अब्रेजन पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कड़ी एवं बोथरे वस्तु से तथा खुरदुरे सतह से आना प्रतीत होती है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत का एक्सरे किया गया था, जिसमें उसने आहत को किसी प्रकार का अस्थि भंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत ने उसे दांत हिलने के संबंध में नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत को कमर एवं घुटने में कोई चोट नहीं थी। जबकि आहत बजराबाई (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुलाहिजा के दौरान चिकित्सक को दांत हिलने, कमर, पैर व घुटने ऊपर चोट आने वाली बात बताये जाने को स्वीकार किया है। इस प्रकार आहत बजराबाई का घटना दिनांक को ही उक्त चिकित्सक द्वारा उसकी चोटो का परीक्षण किया गया होने से आहत के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का परीक्षण के दौरान चिकित्सक के समक्ष खुलासा न किये जाने का स्पष्टीकरण बजराबाई (अ.सा.1) ने अपने साक्ष्य में पेश नहीं किया है।
- 9— चक्षुदर्शी साक्षी बिन्दूबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 12:00 बजे ग्राम डुडवा की है, उस समय उसके सास—ससुर की लड़ाई चल रही थी तो उसी समय आरोपी बबलूदास ने उसकी सास बजराबाई को पत्थर से मारा, जिससे उसकी सास के गाल में चोट आयी थी। उसने इतना ही देखा था। पुलिस वाले जांच में आये थे और मौका नक्शा प्रदर्श पी—1 बनाये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी

बबलू ने बजराबाई को लात—घुसों से मारपीट कर गंदी—गंदी गालियां दी थी तथा जान से मारने की भी धमकी दी थी। जबिक प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को बजराबाई के साथ मारपीट करते नहीं देखा। साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी कटरूदास और फरियादी का वैसा ही वाद—विवाद हो रहा था, जैसा पित—पित में होता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि उसके पुलिस कथन में आरोपीगण द्वारा मारपीट करने और जमीन में पटक देने वाली बात लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने बजराबाई को कोई गाली नहीं दी, यदि बयान मे उक्त बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। इस प्रकार साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत किये गये तथ्य से हटकर प्रतिपरीक्षण में कथन किये है, इसके अलावा साक्षी ने महत्वपूर्ण तथ्यों के सबंध में उसके पुलिस कथन से मुकरते हुए अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- गोधीदास (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कटरूदास से कोई चीज जप्त नहीं किये थे, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी बबलूदास और आरोपी कटरूदास गिरफतार नहीं किये थे, किन्तु गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी कटरूदास से पुलिस ने पत्थर जप्त किया था या उसे गिरफतार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ग्राम का कोटवार है, इस कारण पुलिसवालों के कहने पर उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी के द्वारा पुलिस की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।
- 11— गोपालदास (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वह आरोपीगण को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी कटरूदास से लकडी जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफतार किये थे, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने पत्थर किससे जप्त किया था, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उससे जिन कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे उन पर क्या लिखा था, उसे जानकारी नहीं है, उसने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा पुलिस की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।
- 12— अनुसंधानकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा.६) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—14.09.2010 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध कमांक—21/2010, धारा—294, 323, 506 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर साक्षी बिन्दूबाई की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर

है। उक्त दिनांक को ही आरोपी कटरूदस से साक्षियों के समक्ष एक पत्थर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 तैयार किया गया था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपीगण बबलूदास एवं कटरूदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 तैयार किया गया था। उसके द्वारा प्रार्थी बजराबाई एवं बिन्दूबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बजराबाई ने उसके पुलिस कथन में आरोपी बबलू द्वारा 12 हजार रूपये छुड़ाकर ले जाने वाली बात, घर के अंदर झगड़ा होने वाली बात, आरोपी बबलूदास के द्वारा पत्थर मारने वाली बात तथा दांत हिलने वाली बात नहीं बतायी थी, यदि उक्त तथ्य के संबंध में बजराबाई (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किये हो तो उसका कारण वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रकट किया है, किन्तु मामले में आये विरोधाभाषी तथ्यों एवं लोप के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं कर पाया है।

अभियोजन ने आरोपी कटरूदास को घटना के समय कथित रूप से आहत बजराबाई को पत्थर से मारपीट करने के कारण अभियोजित किया है, जबकि आहत बजराबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी कटरूदास के द्वारा कथित मारपीट में पत्थर से मारने से इंकार किया है तथा आरोपी बबलू के द्वारा हाथ-घुसे से मारने से इंकार किया है, जबकि उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 के अनुसार आरोपी बबलूदास द्व ारा लात-घुसे से मारपीट करने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में साक्षी के कथन में परस्पर विरोधाभाष होना प्रकट होता है। इसके अलावा साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नये तथ्यों का समावेश करते हुए अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर कथन किये है, जिसका कारण मामला महत्वपूर्ण लोप होना प्रकट होता है, जिसका स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी के द्वारा पेश नहीं किया गया है। मामले में उभयपक्ष के मध्य पूर्व रंजिश का तथ्य महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है। चिकित्सीय साक्षी के कथन से स्पष्ट है कि जिन चोटो का आहत बजराबाई ने अपनी साक्ष्य में वर्णन किया है, उन चोटो को चिकित्सीय परीक्षण करने के दौरान चिकित्सक को प्रकट नहीं किया गया है, जो कि संदेहास्पद परिस्थिति को प्रकट करता है। चिकित्सीय रिपोर्ट एवं साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत बजराबाई को मात्र साधारण उपहति कारित हुई थी। इस प्रकार मामले में कई संदेहास्पद परिस्थितियाँ प्रकट होती है।

14— फरियादी बजराबाई ने आरोपीगण के द्वारा घटना के समय घर के अंदर कथित गाली—गलौच किया जाना प्रकट किया है, जबिक अभियोजन मामले के अनुसार घटना के समय फरियादी रास्ते से जा रही थी तब आरोपीगण ने कथित गाली—गलौच की थी। इस प्रकार कथित स्थान के संबंध में परस्पर विरोधाभाष होने से यह संदेह हो जाता है कि घटना स्थल लोक स्थान या उसके समीप वाला स्थान था। वास्तव में पक्षकारगण के मध्य पूर्व से आपसी विवाद होने का तथ्य और उनके जीवन स्तर व ग्रामीण परिवेश में आये दिन विवादों में व बोलचाल के दौरान वार्तालाप में कथित गाली—गलौच वाले शब्दों का सामान्य रूप से समावेश रहता है, जिसे अश्लील शब्दों की परिधि में नहीं माना जा सकता। अभियोजन ने कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण के

संबंध में अन्य स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के माध्यम से उक्त तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि फरियादी ने बिना किसी डर के घटना दिनांक को ही आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखायी और उसकी साक्ष्य में ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि कथित जान से मारने की धमकी के कारण फरियादी को ऐसी संभावना प्रतीत हुई कि निश्चित रूप से ही आरोपीगण कथित धमकी को वास्तव में कार्यरूप में परिणित करने ही वाले है। इस प्रकार यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण ने कथित जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

15— प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय फरियादी बजराबाई, आरोपी कटरूदास की पितन थी तथा आरोपी बबलू उसका भतीजा था। घटना के पूर्व से ही आरोपीगण और फरियादी के मध्य विवाद होने से उनके बीच रंजिश विद्यमान थी। फरियादी ने घटना दिनांक को बाजार जाते समय कथित रूप से आरोपीगण के द्वारा गाली—गलौच करने, उसे मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दिये जाने के आधार पर रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी, किन्तु फरियादी बजराबाई (अ.सा.1) ने कथित घटना स्थल घर के अंदर होना प्रकट करते हुए आरोपी कटरूदास के बजाय आरोपी बबलू के द्वारा कथित मारपीट करने, उसके दांत हिल जाने, कमर व घुटने के ऊपर चोट आने व 12 हजार रूपये छीन लिये जाने के नये तथ्यों को पेश करते हुए महत्वपूर्ण लोप कारित किया है, जिसका स्पष्टीकरण उसने प्रतिपरीक्षण में पेश नहीं कर पायी है। उक्त लोप के संबंध में चिकित्सीय साक्षी एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने भी बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में चुनौती दिये जाने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस प्रकार मामले में आये महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं लोप से अभियोजन का मामला संदेहारपद हो जाता है।

16— मामले में एकमात्र साक्षी बजराबाई (अ.सा.1) ने विरोधामाषी कथन किये हैं तथा अन्य स्वतंत्र साक्षी बिन्दूबाई (अ.सा.2) ने अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया है। इसके अलावा जिन साक्षियों को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उन्होनें अनुसंधानकर्ता की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। मामले में फरियादी बजराबाई (अ.सा.1) की साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में लोप एवं विरोधाभाष उत्पन्न हुये है, जिन्हें साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में दूर नहीं किया है। फरियादी ने अभियोजन कहानी से हटकर अपनी साक्ष्य पेश की है, जिससे मामला संदेहास्पद हो जाता है तथा जिसका फायदा बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। जिन महत्वपूर्ण लोप एवं विरोधाभाष के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद होना प्रकट होता है वह युक्ति—युक्त संदेहास्पद की श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में अभियोजन पर उक्त युक्ति—युक्त संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने का भार था, जिसमें अभियोजन असफल रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया हैं कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में प्रार्थिया बजराबाई को मां–बहन की अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, एक राय होकर आहत बजराबाई को पत्थर एवं लात-घुसों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित कर प्रार्थिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा-294, 324 / 34, 506(भाग-दो) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 18-

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया 19-जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट